न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का खोखर

बनाम

अप्रार्थी :– श्री जगमाल,गोपीराम पुत्र किस्तुर राम गुर्जर निवासी धोकलिया

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 07 / 17

निर्णय दिनांक 3.5.2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खोखर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2073 में सरहद धोकलिया के खसरा नम्बर 280 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.003 है. भूमि में छड़ीयां डाल कर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91(3) एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थीयो स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री तिलोक नाथ ने उपस्थित होकर वकालत नामा प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली किया गया एंव जबाब हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में दिया गया। अधिवक्ता ने दिनांक 7.4.17 को उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया है जिसे शामील पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जबाब में बताया कि अतिक्रमी का कोई कब्जा नही है जो कब्जा था वह हटा दिया गया है। अतिक्रमण से सम्बन्धित पुनः जांच पटवारी हल्का खोखर से चाही गई । पटवारी हल्का खोखर ने मौका फर्द प्रस्तुत की ,कि अप्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि से स्वंय ने ही छड़ीया हटाकर अतिक्रमित स्थान को खाली कर दिया है, मौका फर्द शामिल पत्रावली की गई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का मौजा धोकलिया के खसरा नम्बर 280 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.003 है. . भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण पाया गया है । अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को स्वंय द्वारा हटा लेने पर राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत केवल जुर्माना राशि जमा के आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.003 है. भूमि के 0.17 रूपये लगान का 50 गुणा 10 / – अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(गुरु प्रसाद तंवर)
तहसीलदार, परबतसर

तहसीलदार परबतसर (नागौर)